

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव क्रम सं० FP/UP/Others/43673/2019

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :-UP-023/2020

7. परियोजना/स्कीम का स्थान	:	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, लखनऊ द्वारा डलमऊ-ऊँचाहार मार्ग (एस.एच.-38) के किमी० 181 (चैनेज संख्या-180+935.90) के मध्य बायीं पटरी पर गाटा नं०-378 ग्राम-अलीपुर चकराई तहसील डलमऊ में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.08103 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन किये गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	:	उ०प्र०
(ii) जिला	:	रायबरेली
(iii) वन प्रभाग	:	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	:	0.08103 हे०
(v) वन की कानूनी स्थिति	:	संरक्षित वन
(vi) हरियाली का घनत्व	:	0.10
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ०आर०एल०एफ०आर०एफ०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल० 4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	:	-
(viii) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:	उक्त वनीकरण मार्ग के दोनों ओर स्थित है इसमें भू-क्षरण की संवेदनशीलता नगण्य है।
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	:	0 किमी०
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित किया जाये)	:	नहीं
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	:	नहीं
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्ववीय/पारम्परिक	:	नहीं

स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	: हाँ, अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	: नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	: संलग्न है।
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	: शून्य (हमीरमऊ वन ब्लॉक की वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण प्रस्तावित है)
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	: संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	: कॉलम-10 के अनुसार संलग्न है।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	: प्रभावित वन भूमि (0.08103 हे०) के सापेक्ष 50 पौधों का प्रतिपूरक वनीकरण (0.08 हे०) एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु ₹ 47160.00
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।)	: संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	: आवश्यक नहीं है।
12. विभाग/जिला प्रोफाइल	: पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, रायबरेली।
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	: 3286 वर्ग किमी०
(ii) जिले का वन क्षेत्र	: प्रभाग का कुल 4487.46 हे० वन क्षेत्र है।
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	: 11 मामलें 97.3742 हे०

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:	97.3742 हे०
क. दण्ड के रूप में वनीकरण सहित वन भूमि	:	—
ख. वनेत्तर भूमि पर	:	—
ग. तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	:	—
(i) वन भूमि पर	:	74.62 हे०
(ii) वनेत्तर भूमि पर	:	—
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	:	जनहित में देखते हुये प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है, प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

तिथि—

स्थान : रायबरेली।

प्रभागीय निदेशक,

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,

रायबरेली

प्रभागीय निदेशक

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग

रायबरेली